कार्यालय
रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड
49/7, बलबीर रोड़, देहरादून

Phone: 0135-2677469,
E-mail: bcpuk.ddn@gmail.com,
Website: www.bcputtarakhand.in

काउंसलिंग (सत्र 2018–19) में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देश

(योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायक, पंचकर्म अटैण्डेन्ट, प्राकृतिक चिकित्सा एवं यौगिक साइंस (पत्राचार)

काउंसलिंग स्थान : अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्वेदिक पैरामेडिकल कॉलेज, निकट संस्कार स्कूल, बद्रीपुर रोड़, जोगीवाला, देहरादून

काउंसलिंग तिथिः दिनांक 17 दिसम्बर 2018।

1. आवेदन करना तथा काउंसलिंग बुलावा पत्र प्रवेश की निश्चितता नहीं है। सभी अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वह सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विज्ञापन में दी गई सभी शर्तों को पूर्ण करता हो। अर्ह न होने पर किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। प्रवेश मेरिट के आधार पर उपलब्ध अभ्यर्थियों में से किया जायेगा।
2. यदि आप द्वारा पूर्व में प्रेषित रू0 500/रू0 300 का बैंक ड्राफ्ट **Registrar, Bhartiya Chikitsa Parishad, Uttarakhand** के नाम का न हो अथवा बैंक ड्राफ्ट पूर्व में प्रेषित न किया गया हो तो इस नाम का नया बैंक ड्राफ्ट काउंसलिंग के दिन प्रस्तुत करें। आप द्वारा पूर्व में प्रेषित त्रुटिपूर्ण बैंक ड्राफ्ट आपको हस्तगत कराया जायेगा।
3. काउंसलिंग के समय सभी अभ्यर्थियों को सभी प्रमाण–पत्रों (हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट की अंक–तालिका तथा प्रमाण पत्र, मूल/स्थाई निवास प्रमाण–पत्र एवं आरक्षण की स्थिति में आरक्षण प्रमाण–पत्र) की मूल प्रति व एक–एक प्रमाणित छायाप्रति भी साथ लानी आवश्यक है। यदि आपने आवेदन पत्र पर अपनी प्रमाणित फोटो चस्पा नहीं की है, तो प्रमाणित फोटो भी साथ लायें।
4. काउंसलिंग में पंजीकरण हेतु शुल्क ₹ 500.00 (₹ पांच सौ मात्र) नकद जमा करवाना होगा।
5. जैसे ही किसी श्रेणी की सीट भर जायेंगीं, उस श्रेणी की काउंसलिंग बन्द कर दी जायेगी।
6. यदि कोई अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए निर्धारित दिन व समय पर उपस्थित नहीं होता है तो उस अभ्यर्थी को अनुपस्थित कर दिया जायेगा। अनुपस्थित अभ्यर्थी अगली काउंसलिंग (यदि होगी तो) में भाग लेने के लिए अर्ह होगा। परन्तु विलम्ब से आने पर उपलब्ध सीटों में से ही आवंटन प्राप्त करने का अधिकार होगा।
7. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण–पत्र जांच कराये जाने पर फर्जी पाये गये तो उस अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
8. काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को कोई भी मार्ग व्यय या अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।
9. जिस संस्थान हेतु आपने आवेदन किया है उस संस्थान की काउंसलिंग तिथि देखकर ही निर्धारित तिथि को काउंसलिंग स्थान में उपस्थित हों। अन्य दिवसों में उपस्थित होने पर कांउसलिंग नहीं कराई जायेगी। काउंसलिंग कार्यक्रम परिषद की वेबसाईट www.bcputtarakhand.in व ऑनलाईन पोर्टल www.bcpukonline.com से प्राप्त किया जा सकता है।
10. यदि निर्धारित तिथि को काउंसलिंग पूर्ण नहीं हो पाती है तो किसी अन्य दिवस पर काउंसलिंग आयोजित की जा सकती है।
11. प्रवेश हेतु परिषद/चयन समिति का निर्णय ही अन्तिम होगा।